संख्या: 41/2023/424/छप्पन-2023-01/2016

प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2023

विषय: जनपद अलीगढ़ स्थित हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तारीकरण हेतु भूमि का क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ के पत्र संख्या 1383/वि0भू0अ0अ0 (स0स0)/अलीगढ़ दिनांक 13 मार्च, 2023 तथा जिलाधिकारी अलीगढ़ के पत्र संख्या: 925/नाजिर-हवाई पट्टी/2022-23 दिनांक 13 मार्च, 2023 एवं निदेशक नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या 316/ आर0सी0एस0-2023-बी-1/2022 दिनांक 16 मार्च, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पत्र संख्या PLG/501/RCS/2023/52 दिनांक 11 जनवरी, 2023 द्वारा अलीगढ़ हवाई अड्डे के वर्तमान रनवे End Centerline Coordination Points तथा मास्टर प्लान पर अंकित माप (Dimension) के अनुसार राजस्व मानचित्र पर सुपरइम्पोज करते हुए विकास/ विस्तारीकरण के लिए प्रथम चरण हेतु 157.2254 हैक्टेयर एवं द्वितीय चरण हेतु 118.5195 हैक्टेयर अर्थात प्रस्तावित कुल 275.7449 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु कुल अनुमानित लागत रू0 875,67,02,476.00 (रूपए आठ अरब पिचहत्तर करोड़ सड़सठ लाख दो हजार चार सौ छियत्तर मात्र) पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

2- अलीगढ़ स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु अतिरिक्त भूमि का क्रय करने के लिए मा0 मंत्रि-परिषद् की दिनांक 23 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(1) अलीगढ़ एयरपोर्ट के विकास/विस्तारीकरण के लिए प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु प्रस्तावित भूमि के क्रय हेतु कुल अनुमानित रू0 875,67,02,476.00 (रूपए आठ अरब पिचहत्तर करोड़ सड़सठ लाख दो हजार चार सौ छियत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ व्यय किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) आपसी समझौते के आधार पर भूमि के क्रय की नीति विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा विहित व्यवस्था के अनुसार अन्तिम रूप से ऑकलित भूमि को क्रय किए जाने तथा क्रय की गई भूमि को ''श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0'' के नाम दर्ज किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न शासकीय विभागों की परिसम्पित्तयों यथा वृक्षों, सड़कों, नहरों, बिजली के खम्भों, विद्युत लाइन्स, सब-स्टेशनों, विद्यालयों, ऑगनवाड़ी केन्द्रों इत्यादि तथा विभिन्न अवरोधों के विस्थापन, डायवर्जन तथा नव-निर्माण से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किए जाने तथा शासकीय विभागों द्वारा अपनी भूमि एवं परिसम्पत्तियॉ इत्यादि नि:शुल्क एवं भारमुक्त रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराए जाने/अन्तरित किए जाने हेतु तथा यदि ऐसा करने से मा0 मंत्रि परिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि में से कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा राजकोष में जमा कराए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4) परियोजना में किसी भी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन की स्थिति में निर्णय लेने हेतु तथा अन्य सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में भविष्य में यथावश्यकतानुसार निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मंत्रि-परिषद् के उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव

पृ0सं0: 41/2023/424(1)/छप्पन-2023-01/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ के उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 13 मार्च, 2023 के सन्दर्भ में ।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, पर्यटन विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग एवं नियोजन विभाग उत्तर-प्रदेश शासन ।
3. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद् उ0प्र0 लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in